श्रीनगर-अलस्टेंग-द्रास कारगिल-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम

PIB, (03 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 220 के श्रीनगर – अलस्टेंग – द्रास– कारगिल – लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया है।
- इस कदम से पूरे वर्ष के दौरान लद्दाख को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- इससे पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख के सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री ने 12 अगस्त, 2014 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था।
- 4.5 वर्षों के अन्दर, यह परियोजना भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा पूरी कर ली गई है।

क्या है?

- यह ट्रांसमिशन लाइन 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है और इसकी लम्बाई प्राय: 335 किमी. है।
- इस पर कुल व्यय 2266 करोड़ रू. आया है।
- इस परियोजना में द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह में निर्मित चार नए अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने में मद्द करेंगे।
- वित्त पोषण प्रावधान 95:05 (भारत सरकार के 95% और 5% जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से) के अनुपात में हैं।

परियोजना के लाभ

- इस परियोजना के परिणामस्वरूप सर्दियों के दौरान डीजल पैदा करने वाले सेटों के उपयोग में बड़े पैमाने पर कमी आएगी और इस प्रकार प्राचीन लद्दाख क्षेत्र के सुंदर पर्यावरण की सुरक्षा में मद्द मिलेगी।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य लद्दाख में कठोर सर्दियों में लद्दाख के लोगों को बिजली की आपूर्ति करना और ग्रीष्मकाल में एनएचपीसी के कारगिल और लेह हाइडल स्टेशनों की अधिशेष बिजली की निकासी करना है।
- यह पीएमआरपी योजना के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़कर जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह ग्रीष्मकाल में बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ उस समय भी बिजली की आपूर्ति जारी रखेगा, जब सर्दियों में तापमान में गिरावट होती है और हाइड्रो-बिजली उत्पादन समरूप नहीं रहते हैं।
- यह परियोजना किफायती दरों पर लद्दाख क्षेत्र की बिजली की मांग पूरा करेगी।
- उचित दरों पर बिजली उपलब्ध होने से लद्दाख के आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डीजल सेटों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी।
- यह सभी मौसमों में किफायती प्रवास की तलाश कर रहे पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा।

क्या होता है पावरग्रिड?

- पावरग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटी में से एक है और इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइनों का एक विस्तृत नेटवर्क है जिसमें 238 सब-स्टेशन और 351,106 एमवीए की परिवर्तन क्षमता है।
- इसकी कुल लम्बाई 150,874 सर्किट किलोमीटर है।

राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष

टाइम्स ऑफ इंडिया, (03 Feb.)

संदर्भ

- युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष" के दायरे के अंतर्गत टॉप्स (TOPS) अर्थात् "टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम" कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत टॉप्स के लिए चुने गये एथलीटों को देश में और विदेश में स्थित विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों में विशेष प्रशिक्षण पाने के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है।

क्या है राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष?

- इस कोष की स्थापना 12 नवम्बर, 1998 को धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 (Charitable Endowments Act) के तहत भारत सरकार के द्वारा की गई थी।

भारतीय खेल प्राधिकरण
sports authority of india

कोष का प्रबंधन

- इस कोष का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा गठित एक परिषद् करती है।
- इस परिषद् के अध्यक्ष भारत सरकार के युवा मामले एवं खेलकूद मंत्री होते हैं।
- इस परिषद् के कई सदस्य खेलकूद विभाग तथा भारतीय खेलकूद प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।
- इस परिषद् में देश के सर्वोच्च औद्योगिक संगठनों, यथा – FICCI, CII और ASSOCHAM के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।
- इस परिषद् में लब्धप्रतिष्ठ संगठनों के खेलकूद प्रोत्साहन बोर्डों के प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।
- परिषद् के पदेन सदस्य सचिव युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के संयुक्त सचिव होते हैं।

टॉप्स योजना क्या है?

- इस योजना को राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष (NSDF) के दायरे में खेलकूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- यह कार्यक्रम आगामी ओलंपिक खेलों में भारतीय प्रतिभागियों द्वारा पदक पाने की क्षमता में वृद्धि के लिए चलाया जा रहा है।
- TOPS scheme के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्षमता में संवर्धन करने के लिए हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जायेगी, जिससे कि वे पदक पाने में सफल हो सकें।
- इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (SAI) के द्वारा क्षमतावान खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।
- 2020 और 2024 में होने वाले ओलंपिक में कौन-कौन खेलों में और कौन-कौन खिलाड़ियों को पदक मिल सकते हैं, इसका आकलन करने के लिए अभिनव बिंद्रा समिति का गठन किया गया है।

खनन अधिनियम, 1952

PIB, (04 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में खनन अधिनियम, 1952 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने धरातल के ऊपर अथवा धरातल के नीचे अवस्थित खदानों में काम कर रहीं स्त्रियों को खनन अधिनियम के अनुभाग-46 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है।

इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं

- **धरातल के ऊपर अवस्थित खान में काम करने वाली स्त्रियाँ।**
- ऐसी खान के स्वामी स्त्रियों को 7 बजे सायं से लेकर 6 बजे प्रात: तक काम में लगा सकते हैं।
- इसके लिए सम्बन्धित स्त्री कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी।
- ऐसी स्त्रियों को उचित सुविधाएँ और व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- स्त्रियों को ऐसी खानों में काम देने की प्रक्रिया मुख्य खनन निरीक्षक के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- ऐसी खानों में स्त्रियों को अकेले नहीं अपितु समूह में भेजना होगा और एक शिफ्ट में तीन से कम स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए।

धरातल के नीचे अवस्थित खान में काम करने वाली स्त्रियाँ

- धरातल के नीचे अवस्थित खान के स्वामी स्त्रियों को 6 बजे प्रात: से 7 बजे सायं तक तकनीकी, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन कार्य में लगा सकते हैं।
- इसके लिए भी सम्बंधित स्त्री कर्मचारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगी।
- ऐसी स्त्रियों को उचित सुविधाएँ और व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- स्त्रियों को ऐसी खानों में काम देने की प्रक्रिया मुख्य खनन निरीक्षक के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
- ऐसी खानों में स्त्रियों को अकेले नहीं अपितु समूह में भेजना होगा और एक शिफ्ट में तीन से कम स्त्रियाँ नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण एवं प्रबन्धन) विधेयक , 2018

PIB, द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडियन (04 Feb.)

मुख्य बिंदु

- विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि गंगा नदी में जेटी, बंदरगाह अथवा स्थायी हाइड्रोलिक निर्माण तब तक नहीं किये जाएंगे। जब तक इसके लिए राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प प्राधिकरण अनुमति न दे।
- विधेयक में यह प्रावधान है कि एक प्रबंधन संरचना तैयार की जायेगी, जिसका काम 2,500 किमी लम्बी गंगा नदी के स्वास्थ्य पर नजर रखना होगा।

- विधेयक में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- गंगा नदी के अविरल और पर्यावरणानुकूल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में ढेर सारे प्रतिबंध लगाये गये हैं।
- वर्तमान में गंगा नदी के ऊपरी भागों में अनेक बाँध हैं, जिसके चलते गंगा नदी का प्रवाह बाधित होता है।
- प्रस्तावित विधेयक में पानी को अभियंत्रण द्वारा नई दिशा में ले जाने अथवा उसको रोक देने जैसे कार्यों के कारण जल-प्रवाह में बाधा पहुँचाने वाली अनधिकृत गतिविधियों का वर्णन किया गया है।
- इन अनधिकृत गतिविधियों के लिए तीन वर्ष के कारावास अथवा 50 करोड़ रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

गंगा सुरक्षा दल (GPC)

- इसमें गंगा सुरक्षा दल (Ganga Protection Corps) बनाने का प्रस्ताव है, जिसके सदस्यों को अधिकार होगा कि वे नदी को गंदा करने वालों को गिरफ्तार कर सकते हैं।
- गंगा सुरक्षा दल के कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा भेजे जायेंगे और उन्हें राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प प्राधिकरण के द्वारा तैनात किया जाएगा।
- विधेयक में इन कामों को प्रदूषण करने वाला काम माना जाएगा - नदी की धारा को अवरुद्ध करने वाला निर्माण कार्य, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक खपत के लिए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से सटी भूमि से भूजल निकालना, इन नदियों में व्यवसाय के लिए मछली मारना, नाली के पानी को नदी में बहाना।
- गंगा नदी में गंदा पानी डालने के लिए पाँच वर्ष तक के कारागार अथवा प्रतिदिन 50,000 रु. के जुर्माने अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है।

विधेयक में वर्णित संज्ञेय अपराधों की सूची-

- नदी के प्रवाह को रोकने वाले निर्माण कार्य।
- गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पास की भूमि से औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक खपत के लिए जल निकालना।
- गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में व्यापार के लिए मछली मारना अथवा एक्वा कल्चर करना।
- नदी में अशुद्धीकृत अथवा शुद्धीकृत नाला जल छोड़ना।

PDOT- एक प्रशिक्षण कार्यक्रम

PIB, (04 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Pre-Departure Orientation Training – PDOT) चलाया है।
- यह कार्यक्रम उनके देश छोड़ने से पहले संचालित किया जाएगा।
- इसमें उनको उस देश की भाषा और संस्कृति की जानकारी दी जायेगी, जहाँ वे जा रहे हैं और साथ ही वहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी दी जायेगी।
- इसके अतिरिक्त परिव्रजन की प्रक्रिया और कल्याणकारी उपायों के विषय में भी उन्हें अवगत कराया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय का है जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साहचर्य में चलाएगा।
- यह कार्यक्रम जिस योजना का अंग है, उसका नाम 'प्रवासी कौशल विकास योजना' (PKVY) है।
- इस कार्यक्रम की संचालन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है।

प्रवासी कौशल विकास योजना

- इस योजना का उद्देश्य उन भारतीयों के कौशल में वृद्धि करना है जो रोजगार के लिए विदेश जाते हैं।
- इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि बाहर जाने वाले भारतीय युवाओं में अपने ऊपर भरोसा पैदा हो और वे नए देश में अपने आप को अजनबी न समझें।
- इस कार्यक्रम में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

- कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) करेगा। इसके लिए वह अपने प्रशिक्षण भागीदारों की सहायता लेगा और विदेश मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय से समय-समय पर परामर्श भी लेता रहेगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्या है?

- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक लाभ-रहित कम्पनी है, जिसकी स्थापना 2009 में कौशल विकास के लिए की गई थी।
- इसका उद्देश्य बड़े-बड़े और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करते हुए कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है।

सेफ सिटी परियोजना

इंडियन एक्सप्रेस, (05 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्भया कोष योजना के लिए गठित प्राधिकृत अधिकारी समिति ने आठ चुने हुए महानगरों में प्रायोगिक सुरक्षित नगर (Safe City) परियोजनाएँ चलाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।

- ये आठ महानगर हैं- दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ।

- यह परियोजना एक केंद्र-संपोषित योजना होगी, जिसमें केंद्र और राज्य के कोषों का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा।

मुख्य बिंदु

- एक समेकित स्मार्ट नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा।
- महिलाएँ सरलता से शिकायत दर्ज कर सकें इसके लिए गुलाबी गुमटियाँ बनेंगी जिनको केवल महिला पुलिस कर्मचारी चलाएँगी।
- इन नगरों में ऐसे गश्तीदल (Pink Petrol) होंगे जिनमें मात्र महिला पुलिस ही होंगी।
- सभी थानों में एक महिला सहायता डेस्क होगा और वहाँ पर मंत्रणा देने वाले (counsellors) भी होंगे।
- वर्तमान आशा ज्योति केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।
- बसों में सुरक्षा के उपाय किये जाएँगे, जैसे - कैमरे लगाना आदि।
- जिन सड़कों पर छेड़छाड़ की घटनाएँ अधिक होती हैं, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।
- यत्र-तत्र गुलाबी शौचालय बनाए जाएँगे।
- महिला सहायता टेलीफोन लाइनों को एक जगह मिलाकर एक ऐसा आपातकालीन नंबर दिया जाएगा जिसका प्रयोग कहीं से भी हो सकेगा।

एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन

द हिन्दू, लाइव मिंट, (05 Feb.)

संदर्भ

- एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है।
- इसका आयोजन विश्व एलपीजी संघ (World LPG Association - WLPGA) द्वारा भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के साहचर्य से किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इससे वैश्विक एल.पी.जी. उद्योग को उन विभिन्न विकास एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और लाभ-रहित संगठनों से मिलने-जुलने का अवसर मिलेगा जो लाभार्थियों के लिए सबसे निचले स्तर तक एलपीजी पहुँचाने का काम करते हैं।
- शिखर सम्मलेन में प्रतिभागिता करने वाले संगठनों और निजी क्षेत्र को एलपीजी के प्रयोग के विषय में विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा होगी और साथ ही वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी उन क्रांतिकारी पहलों से भी अवगत हो सकेंगे, जो सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं।

विश्व एलपीजी संघ क्या है?

- विश्व एलपीजी संघ (WLPGA) विश्वभर के एलपीजी उद्योग का एक प्रतिनिधि मंच है, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उद्योग की प्रामाणिक वैश्विक आवाज के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह संघ एलपीजी के प्रयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कि विश्व पहले से अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बने।
- इस संघ के 200 से अधिक सदस्य हैं और इसकी शाखाएँ 125 से अधिक देशों में काम कर रही हैं। यह संघ निजी और सार्वजनिक कंपनियों के हितों की रक्षा करता है।
- यह एक ऐसा मंच है जहाँ एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ एलपीजी से जुड़े तथ्यों, आँकड़ों एवं उत्कृष्ट प्रथाओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करता है।

- एलपीजी के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए यह संघ नियमित रूप से तकनीकी विशेषज्ञों, सदस्यों और प्रधान हितधारकों के बीच बैठकें आयोजित करता रहता है।
- 1989 में इस संघ को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के परामर्शी का दर्जा प्रदान किया गया था।
- इस संघ द्वारा की जाने वाली वार्षिक सांख्यिकी समीक्षा जैसे प्रकाशनों को एलपीजी उद्योग में संदर्भ के रूप में माना जाता है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश

टाइम्स ऑफ इंडिया, (05 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में पेट्रोलियम सचिव एम.एम. कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है।
- एशिया एलपीजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए एम.एम. कुट्टी ने कहा कि एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- सरकार की प्रत्येक परिवार को स्वच्छ रसोई गैस ईंधन उपलब्ध कराने की पहल से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है।
- पेट्रोलियम सचिव ने 05 फरवरी, 2019 को कहा कि देश में एलपीजी की मांग 2025 तक 34 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- एलपीजी की मांग बढ़ने से चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा उपभोक्ता बन गया है।

मुख्य तथ्य

- वर्ष 2014-15 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 14.8 करोड़ थी, जो 2017-18 में बढ़कर 22.4 करोड़ हो गई। जनसंख्या में तेज वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी पहुंच बढ़ने से एलपीजी उपभोग में औसतन 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे 2.25 करोड़ टन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है।
- पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक एलपीजी उपभोग बढ़कर 3.03 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2040 तक यह आंकड़ा 4.06 करोड़ टन होगा।
- केंद्र सरकार ने देशभर में एलपीजी के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेषरूप से ग्रामीण परिवारों में एलपीजी उपभोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीण परिवार परंपरागत ईंधन पर निर्भर रहते हैं जो उनकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही इससे प्रदूषण भी बढ़ता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई, 2016 को शुरू की गई एक योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 6.31 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत तीन साल मे पांच करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के तहत वर्ष 2020 तक आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत आरम्भ में वित्त वर्ष 2016-17 से शुरू 3 वर्षों की अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
- यह सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी सरकार के समग्र फोकस का एक हिस्सा है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. श्रीनगर-अलस्टेंग-द्रास-कारगिल-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) इसका शिलान्यास 12 अगस्त, 2014 को किया गया।

(b) यह ट्रांसमिशन लाइन अधिकतम 4000 मीटर की ऊँचाई पर निर्मित है और इसकी लम्बाई लगभग 335 किमी. है।

(c) हाल ही में इसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है।

(d) यह परियोजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा नियोजित है।

2. 'राष्ट्रीय खेलकूद विकास कोष' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस कोष के अंतर्गत 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम' कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
2. टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के लिए चुने गये एथलीटों को देश और विदेशों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण पाने के लिए इस कोष से धनराशि मुहैया करायी जायेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. 'खनन अधिनियम, 1952' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अधिनियम में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने धरातल के ऊपर या नीचे अवस्थित खदानों में कार्य कर रही स्त्रियों को खनन अधिनियम के अनुभाग-46 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है।
2. धरातल के नीचे अवस्थित खान में स्त्रियों को 6 बजे प्रातः से 7 बजे सांय तक लगा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. 'गंगा सुरक्षा दल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस दल के कर्मचारी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।
2. इन कर्मचारियों को गंगा नदी को दूषित करने वालों को रोकने के लिए राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प प्राधिकरण के द्वारा तैनात किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. 'पीडॉट' (PDOT) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) यह भारत सरकार द्वारा विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए चलाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
(b) यह कार्यक्रम प्रवासी कौशल विकास योजना का अंग है।
(c) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम की संचालन एजेंसी है।
(d) इसका उद्देश्य उन भारतीयों के कौशल में वृद्धि करना है, जो रोजगार एवं यात्रा के लिए विदेश जाते हैं।

6. 'सेफ सिटी परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
2. यह एक केन्द्र-संपोषित योजना होगी, जिसमें केन्द्र और राज्य के कोषों का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. 'विश्व एलपीजी संघ' द्वारा एशिक्षा एलपीजी शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक कहाँ प्रस्तावित की गयी है?

(a) नई दिल्ली (b) बीजिंग
(c) सिंगापुर (d) बैकांक

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है।
2. अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनां (d) न तो 1, न ही 2

नोट : 1-2 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(d), 3(c), 4(a), 5(d), 6(c), 7(c), 8 (b), 9(b), 10(c) होगा।

GS World
Committed to Excellence